तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

23.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋणि द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया है ना ही देय राशि का भुगतान प्रार्थी को किया हैं। सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2023 को धारा 13(4) के तहत ले लिया गया हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में बैंक के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण ऋणि की सम्पत्ति चक कि.नं. 20 मु.नं. 6 चक 25 पीएस बी वार्ड नं. 1 रायसिंहनगर प्लॉट सं. 72 का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु निवेदन किया हैं। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत सम्पत्ति दस्तावेजों में कि.नं. 10 अंकित हैं। धारा 14 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना होता हैं, परन्तु प्रस्तुत शपथ पत्र में भी कि.नं. 20 की सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्र का अवलोकन किया जिसके अनुसार सम्पत्ति को बैंक के पास रहन भंवरी देवी द्वारा रखा जाने का करार किया गया हैं जबकि सम्पत्ति के दस्तावेजों अनुसार सम्पत्ति सुदेश कुमार सर्वा एवं भंवरी देवी दोनों के नाम से हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:40:47 IST
Reason: SelfAttested